# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 374/2014**

दिनेश जोशी **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 12.05.2014

**आदेश की दिनांक** : 22.04.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सौरभ पुरोहित, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से उसका वेतनमान स्टेनोग्राफर के पद का वेतनमान में निर्धारित किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित चयनित वेतनमानों का लाभ मय शेष राशि ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी कम स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर कलेक्ट्रेट, अलवर में हुई थी और वर्ष 1988 में आदेश दिनांक 31.12.1988 के द्वारा राजस्थान के सभी जिला परिषदों में स्टेनोग्राफर का पद सृजित किया गया और संबंधित जिला द्वारा ही उक्त पद को भरा गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी वर्ष 1991 में उक्त पद के विरूद्ध नियुक्त

हुआ तब से अपीलार्थी लगातार स्टेनोग्राफर के पद के विरूद्ध कार्य कर रहा है। आदेश दिनांक 31.07.1991 के द्वारा अपीलार्थी को जिला परिषद, अलवर स्थानांतरित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को एलडीसी स्टेनो टाइपिस्ट दर्शाया गया, परंतु अपीलार्थी को एलडीसी के पद का वेतन दिया जा रहा है। अपीलार्थी का नाम भी एलडीसी की वरिष्ठता सूची में नहीं दर्शाया गया है। आदेश दिनांक 23.04.2009 के द्वारा अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ एलडीसी के पद पर मानते हुये दिया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति दिनांक से उसका वेतनमान स्टेनोग्राफर के पद का वेतनमान में निर्धारित किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ सहित चयनित वेतनमानों का लाभ मय शेष राशि ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी स्टेनोग्राफर के पद पर चयनित अथवा नियुक्त नहीं हुआ है अपितु लोकसभा चुनाव 1991 हेतु व्यवस्थार्थ/तदर्थ रूप से कनिष्ठ लिपिक के पद पर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर, अलवर द्वारा आहूत किया गया था। तद्नुसार कनिष्ठ लिपिक पद का वेतनमान प्राप्त करते हुये अपीलार्थी अध्यतन कनिष्ठ लिपिक के पद पर जिला परिषद अलवर के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहते कनिष्ठ लिपिक पद की वेतन श्रृंखला और चयनित वेतनमान इत्यादि का लाभ आहरित कर पदस्थापित है। शासन में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं शीघ्र लिपिक अलग–अलग पद हैं। कनिष्ठ लिपिक कम स्टेनोग्राफर नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं हैं और इस प्रकार अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक की वेतन श्रृंखला के अंतर्गत ही चयनित वेतनमान इत्यादि का लाभ आहरित करते हुये कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति स्टेनोग्राफर के पद पर कभी नहीं हुई और न ही स्टेनोग्राफर की प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी कम स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर कलेक्ट्रेट, अलवर में हुई थी और वर्ष 1988 में आदेश दिनांक 31.12.1988 के द्वारा राजस्थान के सभी जिला परिषदों में स्टेनोग्राफर का पद सृजित किया गया और संबंधित जिला द्वारा ही उक्त पद को भरा गया। जहां तक अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक कम स्टेनो टाइपिस्ट के पद का वेतनमान प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति स्टेनोग्राफर के पद पर नहीं हुई थी। आदेश दिनांक 31.07.1991 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक स्टेनो टाइपिस्ट जिलाधीश कार्यालय (निर्वाचन शाखा) अलवर का स्थानान्तरण पर पदस्थापन जिला परिषद कार्यालय अलवर में नवसृजित पद शीघ्र लिपिक के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर वेतन श्रृंखला 950–1680 में किया गया और उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी को स्टेनो के कार्य का रूपये 30 प्रतिमाह विशेष वेतन देय होगा। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्टेनोग्राफर (शीघ्र लिपिक) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया गया। अपितु उसे उक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी ने पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/नियुक्ति आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी की नियुक्ति शीघ्र लिपिक के पद पर की गई हो। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से भी सहमत हैं कि कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं शीघ्र लिपिक के पद हैं और अपीलार्थी की नियुक्ति न ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शीघ्र लिपिक के पद पर नियुक्ति हुई है और न ही शीघ्र लिपिक के पद का वेतनमान दिये जाने का कोई आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**